इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 582]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2013—पौष 9, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. ए 3-29-2013-1-पांच (59).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेशकर के भुगतान से पूर्णत: छूट देती है :—

अनुसूची

माल का वर्ग (1)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट मंजूर की गई है (2)
प्रवेश कर अधिनियम से संलग्न अनुसूची दो में.	1. जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जो मेसर्स सासन पावर लिमिटेड, जिला सिंगरौली द्वारा दी गई किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में संलग्न ठेकेदार या उप ठेकेदार है, द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय के लिये प्रविष्ट किया जाए और ऐसे माल का मेसर्स सासन पावर लिमिटेड, जिला सिंगरौली को संलग्न प्ररूप में इस आशय की घोषणा पर तद्नुसार विक्रय किया जाए कि क्रय किया गया माल क्रेता द्वारा उसकी उस औद्योगिक इकाई, जो जिला सिंगरौली में स्थापित की गई है, में अन्य माल के विनिर्माण में आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिए आशयित है. 2. यह छूट 23 जून 2008 से प्रारंभ होकर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख तक की कालावधि के दौरान उपलब्ध होगी.

परिशिष्ट

घोषणा का प्ररूप

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक . . . . तारीख . . . . के अधीन)

मैं, मेसर्स सासन पावर लिमिटेड, जिला सिंगरौली, जो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन) . . . . का धारक हूं, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं कि मैंने श्री . . . . (विक्रेता का नाम तथा पता), जो उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन) . . . . धारण करते हैं, से माल का क्रय किया है जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, और उक्त माल मेरी औद्योगिक इकाई जो सासन पावर लिमिटेड के नाम से सिंगरौली जिले में स्थापित की गई है, में अन्य माल के विनिर्माण में आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिये आशयित है.

मैं, यह और घोषणा करता हूं कि,—

(एक) क्रय किये गये माल का 23 जून 2008 से प्रारंभ होकर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख तक की कालावधि के दौरान आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग किया गया है;

(दो) आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिये क्रय किया गया माल, उक्त अधिनियम के अधीन जारी मेरे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है, तथा

(तीन) मेरा उपर्युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र उपर्युक्त माल के क्रय की तारीख को प्रभावशील था :—

क्रय किये गये माल की विशिष्टियां

*क्रय आदेश/विनिमय-पत्र/बीजक/ केशमेमो/चालान का क्रमांक व तारीख की विशिष्टियां (1)	क्रय किये गये माल का वर्णन (2)	परिमाण (3)	मूल्य (रुपये में) (4)

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये . . . . (शब्दों में) रुपये . . . . केवल.

स्थान . . . .

तारीख . . . . व्यापारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. ए 3-29-2013-1-पांच (59).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए 3-29-2013-1-पांच (59), दिनांक 30 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 30th December 2013

No. F.-A-3-29-2013-1-V (59).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government hereby, exempts in whole the class of goods specified in column (1) of the Schedule given below, from payment of the entry tax under the said Act, subject to the restriction and conditions specified in column (2) of the said Schedule :—

SCHEDULE

Class of goods (1)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (2)
Goods specified in Schedule II appended to the Entry Tax Act.	1. When the goods specified in column (1) are entered into a local area by a registered dealer, who is a contractor or sub-contractor involved in the execution of works contract awarded by M/s Sasan Power Limited, District Singrauli, for sale and such goods are accordingly sold to M/s. Sasan Power Limited, District Singrauli against a declaration in the appended form to the effect that the goods being purchased are intended for use as incidental goods in the manufacture of other goods by the purchaser in his industrial unit established in District Singrauli. 2. The exemption shall be available during the period commencing from 23rd June 2008 to the date of commencement of commercial production.

APPENDIX

Form of Declaration

(Under Commercial Taxes, Department notification No. . . . . . . Dated . . . . . .)

I, M/s. Sasan Power Limited, District Singrauli holding registration certificate No. (TIN) . . . . under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), hereby declare that I have purchased the goods particulars of which have been given below from . . . . (Name and address of the seller) holding registration certificate No. (TIN) . . . . under the said Act and the said goods are intended for use as incidental goods in the manufacture of other goods by me in my industrial unit under the name Sasan Power Limited established in district Singrauli.

I, further declare that,—

(i) the goods purchased have been used as incidental goods during the period, commencing from 23rd June 2008 to the date of commencement of commercial production;

(ii) the goods purchased for use as incidental goods are specified in my registration certificate under the said Act, and

(iii) my aforesaid registration certificate was in force on the date of the aforesaid purchase of goods :—

Particulars of goods purchased

*Particulars of purchase order/bill/invoice/cash memo/challan No. . . . . . . Dt.	Description of goods purchased	Quantity	Value (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Total :	

Total value (in figure) Rs. . . . . (in words) . . . . only

Date : . . . .

Place : . . . .

Signature of the dealer

*strike out which is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013